राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर :— 0141–2740735 फैक्स नम्बर :— 0141–2742309)

क्रमांक :— एफ.4(ई)बी–495/81/अलेसे–III/12 दिनांक :— 10.01.2018

आदेश संख्या 284/2017–18

श्री बंशीधर जाट, अवकाश प्राप्त कनिष्ठ लेखाकार के विरूद्ध भ्र.नि.ब्यूरो में पंजीबद्ध फौजदारी प्रकरण संख्या 260/99 के संबंध में सहायक निदेशक अभियोजन (भ्र.नि.ब्यूरो मामलात), जयपुर द्वारा इस निदेशालय को यह अवगत कराने पर कि "माननीय सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध करने के लिये छः माह का कारावास तथा रूपये 1000/— के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, अदम अदायगी जुर्माना एक माह के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया है", निदेशालय के आदेश संख्या 09/2006–07 दिनांक 23.05.2006 के द्वारा श्री जाट को तत्काल प्रभाव से पदच्युत/ राज्य सेवा से हटाया गया था।

माननीय राज. उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. क्रिमिनल अपील सं. 489/2006 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2016 के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश दिनांक 05.05.2006 को रद्द करते हुए श्री बंशीधर जाट पर लगाये गये आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण, विधि (प्रकोष्ठ–4) विभाग के पत्र क्रमांक एफ.16(114) विधि–4/2017 दिनांक 28.04.2017 द्वारा अपील संख्या 489/2006 में नो अपील का निर्णय लिये जाने पर निदेशालय के आदेश संख्या 29/2017–18 दिनांक 30.05.2017 द्वारा श्री जाट को राज्य सेवा से हटाने/ पदच्युत करने की तिथि से पुनः सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथि तक की अवधि का कोई वेतन आदि परिलाभ नहीं दिए जाने का निर्णय लेते हुए श्री बंशीधर जाट की पदच्युति/ सेवा से हटाने के आदेश को अपास्त करते हुए उन्हें तुरन्त प्रभाव से सेवा में पुनः स्थापित किया गया।

श्री बंशीधर जाट के अभ्यावेदन दिनांक 04.01.2018 के आधार पर निदेशालय द्वारा जारी आदेश संख्या 29/2017–18 दिनांक 30.05.2017 का विधि एवं नियमों के आधार पर पुनरावलोकन करते हुए उक्त आदेश के उस भाग, जिसमें श्री जाट को राज्य सेवा से हटाने/ पदच्युत करने की तिथि से पुनः सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथि तक की अवधि का कोई वेतन आदि परिलाभ नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री बंशीधर जाट को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 54 (1, 2 एवं 4) के अनुसरण में उनकी निलंबन एवं बर्खास्तगी अवधि को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल मानते हुए वेतन एवं भत्तों तथा पेंशनरी परिलाभों हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(हस्ताक्षर)
(परमेश्वरी चौधरी)
निदेशक

क्रमांक :— एफ.4(ई)बी–495/81/अलेसे–III/12 दिनांक :— 10.01.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
2. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, विधि/ जांच अनुभाग, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
5. श्री बंशीधर जाट, कनिष्ठ लेखाकार, माणीगरों की ढाणी, ग्राम–जैतपुरा, वाया–जैतपुरा, तहसील–चौमूं जिला जयपुर –303704
6. गोपनीय शाखा/ पदस्थापन सीट/ वरिष्ठता सीट।
7. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर प्रकाशन एवं पीआईएस में दर्ज करने हेतु)।
8. अतिरिक्त निजि सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली/ निजि पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
(परमेश्वरी चौधरी)
निदेशक